28/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधि० उप०
प्रकरण आलोक आदेश में दिनांक 29/11/24
को पेश हो

29/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधि० उप०
प्रकरण आलोक आदेश में दिनांक 5/12/24
को पेश हो

5/12/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् अधि. उप.।
प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11
बाबत दीवानी प्रार्थना पत्र का जवाब वादी
अधिवक्ता द्वारा दि. 28/11/24 को पेश किया
जा चुका है, जो शामिल मिसल है। वादी एवं
प्रतिवादी अधिवक्ता की आदेश 7 नियम 11 बाबत
दीवानी पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता / प्रार्थी अधि. द्वारा
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 बाबत दीवानी की
बहस सुनाते हुए प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव
किया तथा निवेदन किया कि वादिया द्वारा दिनांक
28/9/2024 को वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही
वादग्रस्त भूमि ग्राम समोडी के खसरा नं. 115
रकबा 0.0253 है. किस्म बंजड़ में अपना सम्पूर्ण
हक-हिस्से का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र
दिनांक 10/9/2024 को किया जा चुका है। अतः
वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी के
खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित कर दिये जाने
के कारण चलने योग्य नहीं है। अतः वादी द्वारा
प्रस्तुत वाद को आदेश 7 नियम 11 प्रार्थना पत्र
बाबत दीवानी स्वीकार किया जाकर खारिज
समाप्त जावे।

वादी अधिवक्ता / अप्रार्थी अधिवक्ता
द्वारा बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि
वादग्रस्त भूमि का बेचान हुआ है अथवा नहीं, यह
साक्ष्य के दौरान सिद्ध किए जाने का विषय है। वादी
द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान किया जाना सिद्ध नहीं
होने तक वादी के हक-अधिकार सुरक्षित है। अतः

—लगातार—

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा
5/12/24

तारीख हुक्म	85/99 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओमप्रकाश V/S गोकल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/12/99	प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी को वादपत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिबीटल बहस में निवेदन किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी का सहखातेदार होना आवश्यक है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा दीगर व्यक्ति को वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही बेचान कर दिये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जावे। उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस का मनन एवं चिन्तन किया गया, पत्रावली एवं संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। संबंधित विधि के आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के बिन्दु सं. 'घ' से स्पष्टतया वर्जित होता है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार वादी का सहखातेदार होना आवश्यक है। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10/3/99 को किया जा चुका है अतः वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक-अधिकार	

— लगातार —

5/12/99

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	85/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओमप्रकाश V/s गोकल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/1/25	शेष नहीं रहने से प्रथमदृष्टया आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 5/1/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. ओमप्रकाश पुत्र नारायणलाल, जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी टाइल डिपो के पास, रामनगर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा वादी

बनाम

1. गोकल पुत्र रामा, जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 एवं 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद बाबत् विभाजन आराजियात

प्रकरण संख्या 85/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री भैरूलाल जी बापना उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 05.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.09.2024 को किया जा चुका है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार शेष नहीं रहने से प्रथमदृष्टया आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

5/12/24

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा